

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु० कोलायत
पीठासीन अधिकारी :- सांवरमल रैगर आर.ए.एस.



वाद संख्या :- 3/2024
करणीसिंह उर्फ करणसिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह जाति राजपूत साकिन सेवडा तहसील कोलायत
जिला बीकानेर

-----वादी

बनाम

1. इन्द्रकंवर पुत्री मेहताब सिंह जाति राजपूत साकिन सेवडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु० कोलायत

---प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण वादी वकील
2. प्रतिवादी सं० 1 इन्द्रकंवर
3. पैरोकार राज, तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

- : निर्णय :-

दिनांक :- 1.10.2024

वादी अधिवक्ता द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर०टी०ए० एवं धारा 131, 136 एल०आर०एक्ट० के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 आपस में भाई बहन हैं तथा ग्राम सेवडा के पुश्तैनी वासिंदा हैं तथा वादी के नाम से वाके रोही ग्राम सेवडा के खेत खसरा सं० 646/4 में 79 बीघा व इसी प्रकार प्रतिवादी सं० 1 के नाम से ग्राम सेवडा के खेत खसरा न० 646/3 में 79 बीघा खातेदारी कृषि भूमि चली आ रही है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 की आराजी मुतनाजा पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 अपने-अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर लगातार काश्त करते हुये चले आ रहे हैं तथा वास्तव में वादी ग्राम सेवडा के ख०न० 646/3 की 79 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जबकि रिकार्ड राजस्व में वादी के नाम ख०न० 646/4 की 79 बीघा भूमि दर्ज है जो कि मौके से भिन्न है तथा वादी ख०न० 646/4 की 79 बीघा भूमि के स्थान पर प्रतिवादीगण सं० 1 के नाम से ग्राम सेवडा के ख०न० 646/3 की 79 बीघा भूमि अपने नाम से व अपनी खसरा न०

(सांवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु० कोलायत



5/4 की 79 बीघा भूमि प्रतिवादीगण सं० 1 के नाम से दर्ज करवाकर रिकार्ड राजस्व नक्शा में दुरुस्ती करवाने का पूर्ण हकदार व अधिकारी है तथा चकबन्दी के पश्चात के वादी के नाम से चक 6 एस०एम० ए के मु०न० 64/3/13 के कि०न० 5,6 मु०न० 84/1/5 के कि०न० 11,12, 17ता 24 मु०न० 84/1/1 के कि०न० 1,2,6 ता 25, मु०न० 84/1/2 के कि०न० 1ता20, 23ता25 व चक 7 एस०एम० के मु०न० 84/1/6 के कि०न० 1ता4, 7ता13, 18ता22 व मु०न० 84/1/7 के कि०न० 1,2,10 मु०न० 84/1/3 के कि०न० 4,5,6 की भूमि किला फिटिंग की गई व इसी प्रकार मौके से भिन्न व कब्जा व काश्त से परे प्रतिवादी सं० 1 के नाम से चक 5 एस०एम० के मु०न० 83/2/7 के कि०न० 11,12,19ता25 मु०न० 83/2/12 के कि०न० 1,10 मु०न० 63/4/16 के कि०न० 16,25 मु०न० 83/2/4 के कि०न० 1ता25, मु०न० 83/2/8 के कि०न० 1ता 25 व चक एसएम ए के मु०न० 84/1/1 के कि०न 3ता 5 व मु०न० 84/1/5 के कि०न० 1ता10, 13,14 की भूमि की किला फिटिंग कर दी गई जो कि मौके से पूर्ण भिन्न है तथा वादी मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार अर्थात् वादी प्रतिवादी गण सं० 1 के नाम चक 5 एस०एम० के मु०न० 83/2/7 के कि०न० 11,12,19ता25 मु०न० 83/2/12 के कि०न० 1,10 मु०न० 63/4/16 के कि०न० 16,25 मु०न० 83/2/4 के कि०न० 1ता25, मु०न० 83/2/8 के कि०न० 1ता 25 व चक एसएम ए के मु०न० 84/1/1 के कि०न 3ता 5 व मु०न० 84/1/5 के कि०न० 1ता10, 13,14 की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का पूर्ण हकदार व अधिकारी है व इसी प्रकार वादी के नाम दर्ज चक 6 एस०एम० ए के मु०न० 64/3/13 के कि०न० 5,6 मु०न० 84/1/5 के कि०न० 11,12, 17ता 24 मु०न० 84/1/1 के कि०न० 1,2,6 ता 25, मु०न० 84/1/2 के कि०न० 1ता20, 23ता25 व चक 7 एस०एम० के मु०न० 84/1/6 के कि०न० 1ता4, 7ता13, 18ता22 व मु०न० 84/1/7 के कि०न० 1,2,10 मु०न० 84/1/3 के कि०न० 4,5,6 की भूमि से अपना नाम हटाकर प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खातेदार दर्ज करवाने का पूर्ण हकदार व अधिकारी है तथा वादी का वास्तविक नाम करण सिंह है जिसमें सहवन व भूलवश रिकार्ड राजस्व में करणीसिंह दर्ज कर दिया गया है जिसमे वादी रिकार्ड दुरुस्ती करवाकर करणीसिंह के स्थान पर करणसिंह करवाने का पूर्ण हकदार व अधिकारी है तथा रिकार्ड नक्शा में मौके का ज्ञान किये बिना नक्शा तरमीम किया गया है उसमें दुरुस्ती कर उसी अनुसार किला फिटिंग करवाने का वादी पूर्ण हकदार व अधिकारी है। बाद तामिल सम्मन प्रतिवादी सं० 1 स्वयं हाजिर आकर दिनांक 12-9-2024 को इकबालिया जवाब दावा पेश कर उक्त अनवानी दावा स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्ड राजस्व व नक्शा में दुरुस्ती का निवेदन किया गया वादी की उक्त अपने हक व हिस्से व रिकार्ड अनुसार चली आ रही भूमि भारतीय स्टेट बैंक शाखा गिराजसर के यहां रहन थी जिसे दिनांक 19-9-2024 को वादी द्वारा रहनमुक्त करवा लिया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व प्रतिवादी सं० 1 का इकबालिया जवाब दावा का अवलोकन कर वाद वादी स्वीकार कर वादी के नाम से दर्ज भूमि वाके रोही ग्राम सेवडा के खेत खसरा न० 646/4 की 79 बीघा भूमि जो चक बन्दी के पश्चात चक 6 एस०एम० ए के मु०न० 64/3/13 के कि०न० 5,6 मु०न०

Handwritten signature

(साँवरमल रेगरी)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

4/1/5 के कि०न० 11,12, 17ता 24 मु०न० 84/1/1 के कि०न० 1,2,6 ता 25 मु०न० 84/1/2 के कि०न० 1ता20, 23ता25 व चक 7 एस०एम० के मु०न० 84/1/6 के कि०न० 1ता4, 7ता13, 18ता22 व मु०न० 84/1/7 के कि०न० 1,2,10 मु०न० 84/1/3 के कि०न० 4,5,6 की भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड से हटाकर प्रतिवादी सं० 1 के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज ग्राम सेवडा के खेत खसरा न० 646/3 की 79 बीघा भूमि जो चक बन्दी के पश्चात चक 5 एस०एम० के मु०न० 83/2/7 के कि०न० 11,12,19ता25 मु०न० 83/2/12 के कि०न० 1,10 मु०न० 63/4/16 के कि०न० 16,25 मु०न० 83/2/4 के कि०न० 1ता25, मु०न० 83/2/8 के कि०न० 1ता 25 व चक एसएम ए के मु०न० 84/1/1 के कि०न 3ता 5 व मु०न० 84/1/5 के कि०न० 1ता10, 13,14 की भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से रिकार्ड राजस्व में हटाकर वादी के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रिकार्ड राजस्व में इसी अनुसार इन्द्राज कर रिकार्ड दुरुस्ती की जाती है व वादी का नाम दुरुस्त कर करणीसिंह के स्थान पर करण सिंह कर रिकार्ड राजस्व में दुरुस्ती की जाती है । निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु० कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक :- 1.10.20th सरे इजलास सुनाया गया ।


(सांवरमल रैगर)

आर.ए.एस.

सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम) बीकानेर मु० कोलायत
प्रथम बीकानेर मु० कोलायत